सं०सं०–03 / परी०–BTSC(अधि०)01–04 / 2025....3038 पटना, दिनांक:–...18/09/2025

बिहार सरकार

बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं०–06 / 2025 से 18 / 2025 (विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के विभिन्न पदों)

आयोग के पत्रांक–2186 दिनांक–04.07.2025 द्वारा दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों से आपत्ति प्राप्त करने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश सहित आवश्यक सूचना प्रकाशित की गयी है, जिसमें विज्ञापनवार आपत्ति प्राप्त करने की अवधि अलग से प्रकाशित किये जाने का उल्लेख है।

उक्त क्रम में दिनांक–28.08.2025 से 29.08.2025 को आयोजित निम्न विज्ञापनों के दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों से **दिनांक–19.09.2025 से 22.09.2025 के अपराह्न 06:00 बजे तक** आपत्ति प्राप्त करने हेतु अवधि निर्धारित की गयी है:–

क्र० सं०	विज्ञापन संख्या	पदनाम
1	09 / 2025	विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (जेनरल सर्जन)
2	16 / 2025	विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (फिजिशियन)

अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि आयोग के पत्रांक–2186 दिनांक–04.07.2025 में दिये गये विस्तृत दिशा–निर्देश के आलोक में आपत्ति (यदि हो तो) दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।

अनु०:– यथोक्त।

अपर सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

सं०सं०–03 / परी०–BTSC(अधि०)01–04 / 2025 2186 पटना, दिनांक:– 04.07.2025

बिहार सरकार

बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं०–06 / 2025 से 18 / 2025 (विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के विभिन्न पदों)

स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना, अन्तर्गत विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन सं०–06 / 2025 से 18 / 2025 तक के अन्तर्गत **दिनांक–27.04.2025 एवं 28.04.2024** को आयोजित परीक्षा में से कतिपय विज्ञापनों में परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों का परीक्षा का अंक आयोग के **Website- www.btsc.bihar.gov.in** पर प्रकाशित कर दिया गया है।

उक्त विज्ञापनों में से जिन विज्ञापनों के अन्तर्गत दस्तावेज सत्यापन का कार्य हो चुका है, के दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों का विज्ञापनवार विवरणी उनके नाम एवं Application No. के साथ आयोग के **Website- www.btsc.bihar.gov.in/objection-portal** पर **आपत्ति दर्ज करने (यदि हो तो) हेतु डाला जाएगा। अभ्यर्थियों को निदेश है कि आयोग के Website का सतत् अनुश्रवण करते रहेंगे।**

अभ्यर्थी अपना Application No., मोबाईल नम्बर एवं जन्म तिथि डालकर registered मोबाईल नम्बर पर प्राप्त OTP के माध्यम से Login कर दर्शायी गई सभी विवरणी यथा, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कोटि, प्राप्तांक, अयोग्यता का कारण आदि देखकर संतुष्ट हो लें। किसी प्रकार की कोई त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आपत्ति कारण सहित आयोग के वेबसाईट पर Raise Objection बटन पर Click करके दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति प्राप्त करने की अवधि विज्ञापनवार अलग से प्रकाशित की जायेगी।

उक्त ऑनलाईन आपत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम यथा ई–मेल / निबंधित डाक / कुरियर आदि से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

आपत्ति डालने के पूर्व अभ्यर्थीगण निम्नलिखित निदेशों को ध्यानपूर्वक समझ लें:–

1. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण–पत्र, अंक पत्र, निबंधन प्रमाण–पत्र (सभी शैक्षणिक योग्यता के प्रविष्टि सहित) एवं इन्टर्नशीप का प्रमाण–पत्र नहीं रहने के कारण अयोग्य किया गया है।
2. विज्ञापन के कंडिका–1(i) में अंकित शैक्षणिक अर्हता (संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा / डी०एन०बी० या समकक्ष योग्यता का प्रमाण–पत्र) से इतर शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य किया गया है।
3. योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण–पत्र (यथा– शैक्षणिक प्रमाण–पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण–पत्र, कार्यानुभव हेतु निर्गत प्रमाण–पत्र) दिनांक–**01.04.2025** तक का निर्गत होने पर मान्य किया गया है।
4. निबंधन प्रमाण–पत्र में अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता (संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा / डी०एन०बी० या समकक्ष) का उल्लेख नहीं होने अथवा उक्त निबंधन दिनांक–01.04.2025 के बाद का होने पर अभ्यर्थियों को अयोग्य किया गया है।
5. विज्ञापन के कंडिका–5(i)(b) के अनुसार कार्यानुभव के अंकों की अधिमानता **संविदा** के आधार पर नियोजित अभ्यर्थियों को दिया गया है।

   स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक–1111(2) दिनांक–02.07.2025 से प्राप्त परामर्श के अनुसार ट्यूटर, सिनियर रेसिडेन्ट, पी०जी० बॉन्ड (BHS) एवं पी०जी० बॉन्ड (Non-BHS) का कार्यानुभव संविदा आधारित नहीं होने के कारण उक्त पदों पर किये गये कार्यानुभव हेतु कार्यानुभव का अंक नहीं दिया गया है।
6. विज्ञापन के कंडिका–5(i)(b) में वर्णित कार्यानुभव अवधि की गणना दिनांक–**04.03.2025** तक की गई है।

7. कार्यानुभव प्रमाण–पत्र विज्ञापन की कंडिका–5(iii) के अनुसार संबंधित जिले के सिविल सर्जन, चिकित्सा महाविद्यालय की स्थिति में प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्थिति में अधीक्षक, अतिविशिष्ट अस्पताल की स्थिति में निदेशक तथा विज्ञापन की कंडिका–5(i)(b) में उल्लेखित संस्थानों की स्थिति में उक्त संस्थानों के प्रधान द्वारा निर्गत नहीं होने अथवा विज्ञापन के परिशिष्ट–I में संलग्न प्रारूप में निर्गत नहीं होने पर कार्यानुभव का अंक नहीं दिया गया है।

8. Online आवेदन में दावा किये गये कोटि के अनुसार अनिवार्य प्रमाण–पत्र यथा– जाति प्रमाण–पत्र (SC/ST हेतु), क्रिमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र (EBC/BC हेतु), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण–पत्र (EWS हेतु) नहीं रहने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।

9. Online आवेदन में अंकित आरक्षण कोटि से इतर कोटि का प्रमाण–पत्र संलग्न रहने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।

10. क्रिमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र/जाति प्रमाण–पत्र **पति** के नाम से होने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। Online Objection में साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–15760, दिनांक–02.09.2022 के आलोक में भी कार्रवाई की जायेगी।

11. स्वतंत्रता सेनानी के नाती–नतिनी/पोता–पोती द्वारा सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किये जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।

12. दिव्यांगता प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किये जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।

13. विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा की अर्हता को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है।

उपर्युक्त कारणों से अमान्य किये गये आवेदन/कोटि परिवर्तन/कार्यानुभव का लाभ से संबंधित आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोटः– 1. **प्राप्त आपत्ति के पश्चात् सभी अभ्यर्थियों के अंको की पुनः जाँच की जाएगी एवं जाँचोपरांत मेधा सूची प्रकाशित की जा सकेगी।**

2. **संलग्न सूची मात्र अभ्यर्थियों के प्राप्तांको की जाँच हेतु अपलोड की गयी है। इसे चयन सूची अथवा मेधा सूची नहीं समझा जाय।**

04/07/2025

उप सचिव,

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

D:\2022\SPECIALIST MEDICAL OFFICER_2024\Aapti Suchna\AAPTI SUCHANA (After Counselling)_2